

[Shri M. Satyanarayan Rao] unemployment have you solved? Shri Samar Mukherjee was also mentioning about it. You have not solved this. Problem of unemployment is linked with big industries. If industries are there unemployment will be solved. We should not neglect these big industries also.

My last point is about rural development. Without land reforms there is not going to be any rural development. You are allocating crores of rupees. So many crores of rupees are going to the rural areas, but they will go to big landlords only. That is not going to solve unemployment problem, of which you are very very particular. That is why I say land reforms are very very important. I would like to emphasise this point. In your own interest and in the interest of the country unless this land reform scheme is implemented, unless the landless persons are given lands, there will be chaos in the country. 70 per cent of the people are dependent on agriculture. 79 per cent of the landless poor people are there. That is why this problem is very very severe and urgent. Please try to solve it.

Again I will request the Government and also the Planning Commission to see that they should revise this new dangerous policy about the railway lines. New lines are very much required for the backward regions.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Mr. Chairman, I congratulate the Government for having produced this bold document—Draft Five Year Plan of 1978-83 which has envisaged an outlay of Rs. 1,16,000 crores.

In this regard I would like to point out, while making an inaugural speech the Prime Minister has frankly stated that as there has been no consensus in the National Development Council, probably they will have to wait till November, till the Finance

Commission submits its Report and the National Development Council meets again. So, I would like to know from the Government that from to-day till November of this year, are we to take that this will be a Plan holiday? Are they not going to implement any portion of the Plan as envisaged in the Draft Five Year Plan of 1978-83?

Now coming to the other point—the Prime Minister has been to my constituency on the 9th April, 1978. On behalf of the people of my constituency, I deem it a privilege to congratulate him.

MR. CHAIRMAN: You will resume discussion to-morrow.

Shri Ravindra Varma, Minister of Parliamentary Affairs and Labour has to present the Report of the Business Advisory Committee.

17.58 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE SEVENTEENTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
TARY AFFAIRS AND LABOUR
(SHRI RAVINDRA VERMA): I beg
to present the Seventeenth Report of
the Business Advisory Committee.

HALF-AN DISCUSSION

ARTICLES SEIZED DURING SEARCH OF
MOTI DOONGARI PALACE.

श्री राम नरेश कुमाराहा (सलेमपुर) :
माननीय सभापति महोदय, मेरे लिखित
प्रश्न सं० 3292 दिनांक 9-12-1977
श्रीर मौखिक प्रश्न सं० 641 दिनांक
7-4-1978 के जो उत्तर मंत्री महोदय
ने दिये हैं, दोनों उत्तरों में परस्पर विरोध
है, साथ ही 5 और 10 जून, 1975 के
छापे में मिले माल का ही 7 अप्रैल,
1978 के उत्तर में जिक्र है।
11-2-1975 के छापे में मिले माल का कोई

जिफ़ नहीं हूँ। इसलिये मैं आज इस बर्षा को उठाना चाहता हूँ।

मैंने अपने 9-12-1977 के प्रश्न में मंत्री महोदय से पूछा था—

क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि —

(क) जयपुर में जयगढ़ और मोती डुंगरी आदि से मिले खजाने का जमा न कराने अथवा कम मात्रा में जमा कराने के क्या कारण हैं;

(ख) बाकी खजाना किस स्थान पर रखा गया है;

(ग) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन-कौन से हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तर दिया—

(क) से (घ). "छिपाये गये खजाने" का पता लगाने के लिए केवल जयगढ़ किले में ही खुदाई की गई थी। यह कार्य 1976 में जून से नवम्बर तक की अवधि में किया गया था। उक्त खुदाई में कोई खजाना नहीं मिला।

मान्यवर, मैं आपसे माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने खुदाई की बात अपने प्रश्न में नहीं की थी। मैंने तो यह कहा था कि जयगढ़, मोती डुंगरी, आदि में मिले खजाने को, चाहे वह खुदाई से मिला हो या तलाशी से मिला हो, चाहे जैसे मिला हो, जहाँ से मिला हो, लेकिन जयगढ़ और मोती डुंगरी में जो खजाना मिला, वह कहाँ है ? लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कह दिया कि कुछ नहीं मिला। प्रश्न अलग और जवाब अलग।

मैंने अपने 7 अप्रैल, 1978 के प्रश्न में मंत्री जी से पूछा था—

क्या वित्त मंत्री जी ने निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे —

(क) मोती डुंगरी महल की तलाशी में बरामद वस्तुओं का व्योरा क्या है और वे कितनी मात्रा में बरामद हुईं;

(ख) इन वस्तुओं को किसने जमा किया तथा कहाँ पर; और

(ग) उनका कुल मूल्य कितना है ?

इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि ये-ये समान मिला है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ— मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो सामान मिला, उसका विवरण दे दिया—इस तरह से मुझे एक ही प्रश्न के दो जवाब मिले। जब मैंने मंत्री जी से इसका जिफ़ किया कि इन दोनों में से आप का कौन सा जवाब सही है, तो उन्होंने कहा कि दोनों जवाब सही हैं। मेरा यह कहना कि दोनों जवाब तो सही नहीं हो सकते। अगर पहला जवाब सही है तो फिर जब वह माल मिला, कहाँ रखा गया, कि खजाने में जमा हुआ। दूसरे प्रश्न के उत्तर में तो उन्होंने कह दिया कि फलां फलां माल मिला और खजाने में जमा कर दिया गया, इस बीच में वह माल कहाँ रहा। मैं यही जानना चाहता हूँ कि सारा माल किसकी कस्टडी में रहा, कहाँ रहा ? सभापति महोदय, मेरी सूचना तो यह है कि खजाना मिलने के बाद तीन दिन तक जयपुर से दिल्ली की सड़क को जाम कर दिया गया और उस बीच में माल ढीया जाता रहा, लेकिन कितना किसके घर गया— इसका पता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता

[श्री राम नरेश कुमकाहा]

है कि इसमें जाल बट्टा किया गया है, जाल बट्टा करके इस खजाने को जमा किया गया है, बाकिर कहीं-न-कहीं तो इसको रखा गया होगा। इसीलिए जब मंत्री जी ने पहला जवाब दिया, तो मैंने धर्मयुग की फाइलें सामने रख दीं, जिसमें वहाँ के माल और जेवरों की फोटो छपी थीं, तब उन्होंने मंजूर किया, बाद में मेरा वह प्रश्न साटरी में नहीं आया।

मैं यही जानता चाहता हूँ कि बीच के दिनों में वह माल कहा रखा गया, किस के घर पर रखा या उसको छिपाने की बदनीयती थी, तो किसकी थी और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और इसमें सीपापोती क्यों की जा रही है, मंत्री जी के दोनों जवाबों में इतना अन्तर क्यों है ?

बिस्व मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश धरबाबल) : सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने अपने 9 दिसम्बर, 1977 और 7 अप्रैल, 1978 को दिये गये प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में यह आधा घंटे की चर्चा उठाई है। मैं इस सम्बन्ध में स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट रूप में सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

जयपुर शहर में इन्कम टैक्स डिपार्ट-मेंट और गोलड कन्ट्रोल अथॉरिटीज ने 11 फरवरी, 1975 से लेकर 13 जून, 1975 तक जयपुर राज घराने के अनेक स्थानों पर छापे डाले और तलाशियां लीं। छापे डाले और तलाशियां की, यह एक प्रसंग है। 1976 में जून, 1976 से नवम्बर, 1976 तक जयगढ़ किल की खुदाई का काम किया गया। इन्कम टैक्स विभाग और गोलड कन्ट्रोल अथॉरिटीज के द्वारा 11 फरवरी, 1975 से 13 जून, 1975 तक सर्वेज की गई और सीजर्स किए गए जयपुर राज घराने के अनेक

स्थानों पर और व स्थान कुल मिस्कर 8 होते हैं जिनमें से 3 दिल्ली में और 5 जयपुर में हैं। इन पाँचों में एक दूसरा राम बाग पैलेस है, दूसरा राजमहल पैलेस है, तीसरा मोती डुंगरी पैलेस है, चौथा सिविल लाइन्स पैलेस और पांचवां सिटी पैलेस है। इन पाँच स्थानों पर फरवरी, से लेकर जून 1975 तक के दौर में तलाशियां ली गईं और तीन स्थान जो दिल्ली में हैं, जिनमें से दो में कर्नल भवानी सिंह जी की पत्नी श्रीमती पद्मनी रहती हैं, वे हैं और एक वह है जिसमें कर्नल भवानी सिंह जी रहते हैं। इस प्रकार से कुल जी सर्वेज और सीजर्स हुये हैं, जो इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट और गोलड कन्ट्रोल अथॉरिटीज न किये हैं, वे इन आठ स्थानों पर किये हैं सन 1975 में। यह एक प्रसंग है और जो खुदाई का काम किया गया, वह जून, 1976 से लेकर नवम्बर, 1976 तक किया गया और वह एक अलग प्रसंग है, जिसमें जयगढ़ किल का सवाल खड़ा होता है। तो जहाँ तक टेजर्स का सम्बन्ध है, खजाने की खुदाई का सम्बन्ध है, वह सम्बन्ध जयगढ़ के किल से जहाँ और तक सर्वेज और सीजर्स का सवाल है, वह मामला इन बाकी आठ स्थानों का है, जो कि सन् 1975 में किये गये थे। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था और जिसका उत्तर दिसम्बर, 1977 में दिया गया था, उसमें शब्द जो प्रयोग किया गया था वह खजाने की खुदाई से सम्बन्धित था। इसलिए जयगढ़ फोर्ट में कुछ नहीं मिला, यह उत्तर दे दिया गया और क्योंकि मोती-डुंगरी पैलेस में कोई खुदाई नहीं की गई थी, इसलिए कोई उत्तर नहीं दिया गया और इसलिए प्र म पैदा हो गया। 7 अप्रैल, 1978 को जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, उसमें मोती डुंगरी पैलेस में क्या मिला, इसके बारे में स्पेसीफिक सवाल था। मोती

दुंगरी पलेस में तलाशी में श्रीर सीजर्स में, जो इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट श्रीर गोल्ड कंट्रोल प्रथारिटीज ने की थी 11 फरवरी, 1975 श्रीर 13 जून, 1975 के बीच में, जो सामान बरामद हुआ था, उसके बारे में सूचना वहाँ दी गई थी। मैं इस सम्बन्ध में सदन की जानकारी के लिए श्रीर इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न न हो, माननीय सदस्य की जानकारी, यह निश्चय करना चाहता हूँ कि जयपुर राज घराने से, जहाँ तक जयगढ़ फोर्ट का सवाल है श्रीर जिसमें खुदाई का काम जून, 1976 से नवम्बर, 1976 तक हुआ था, इस सम्बन्ध में एक एग्जिमेंट भारत सरकार श्रीर कर्नल भवानी सिंह के बीच में हुआ था श्रीर वह एग्जिमेंट हुआ 22 मई, 1976 को जिस के अन्तर्गत यह तय किया गया था कि खुदाई का काम जयगढ़ फोर्ट में किया जाएगा श्रीर यह जो काम किया जाएगा इसमें जो कुछ भी माल श्रीर खजाना मिलेगा, उस में से 12 प्राना भारत सरकार का होगा श्रीर 4 प्राना कर्नल भवानी सिंह का होगा श्रीर खुदाई का सारा खर्चा भारत सरकार को देना होगा श्रीर उसमें कुछ श्रीर शर्तें भी श्रीर अगरे सदन चाहेगा श्रीर आपका आदेश होगा तो उस एग्जिमेंट की एक कॉपी मैं सदन की मेज पर रख सकता हूँ। वह 22 मई, 1976 का एग्जिमेंट था जो कर्नल भवानी सिंह जी श्रीर भारत सरकार के बीच में हुआ था श्रीर उस सम्बन्ध में 27 दिसम्बर, 1976 को जो उस समय के डाइरेक्टर आफ इन्वेस्टीगेशन श्री हरिहर लाल थे, उन्होंने 27 दिसम्बर, 1976 को फाइनल रिपोर्टें श्री ए० धार० मेहता, चेन्नरमैन, डायरेक्ट टैक्सिज बोर्ड को प्रस्तुत कर दी जिसमें कहा गया है कि सारी खुदाई की गयी श्रीर इस प्रकार की गयी, चार तालाब थे, पक्के तालाब थे, डेढ़ डेढ़ सौ फीट लम्बे थे, पानी खाली किया गया, सब कुछ करने के बाद नीचे पहुँचे श्रीर वहाँ पहुँचने के बाद कुछ नहीं मिला। इस तरह से इस फाइनल

रिपोर्ट के मुताबिक जयगढ़ की खुदाई में कुछ भी नहीं मिला है। यह रिपोर्टें 27 दिसम्बर, 1976 को हरिहरलाल जी ने डायरेक्ट टैक्सिज बोर्ड के चेन्नरमैन को पेश की थी।

जहाँ तक जयगढ़ खजाने का सवाल है, उसके सम्बन्ध में भारत सरकार के पास जो रिपोर्टें उपलब्ध है, उस रिपोर्टें के आधार पर यह निष्कर्ष है कि जयगढ़ के खजाने की खुदाई में भारत सरकार को कुछ नहीं मिला है। इस पर आई-सीन लख खपया खर्च करने के बाद यह प्रसंग समाप्त हो गया है। अब इस सम्बन्ध में धर्मयुग में क्या निकला, आधेने श्रीर हकने जेलों में क्या सुना, वे सब बातें सुनी सुनाई बातें हैं, व्यक्तिगत बातें हैं। जहाँ तक सक्क जाम होने का सवाल है श्रीर दूसरी झालोचनार्यों का सवाल है, उस सब की जानकारी हमारे पास तो नहीं है। जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर सरकार को जयगढ़ खजाने से कुछ नहीं मिला है।

अब प्रश्न 1975 के सीजर्स श्रीर सचिज का है। इसके सम्बन्ध में मैं मोटे तौर पर निवेदन करना चाहूँगा कि जो माल गोल्ड कंट्रोल प्रथारिटीज श्रीर इन्कम टैक्स प्रथारिटीज को मिला, उसके बारे में मैं प्रप्रोक्सिमेटली फिगर्स दे रहा हूँ। 4 करोड़ 90 लाख रुपये का माल गोल्ड कंट्रोल प्रथारिटीज को मिला श्रीर प्रप्रोक्सिमेटली 4 करोड़ 90 लाख रुपये का ही माल इनकम टैक्स प्रथारिटीज की मिला। गोल्ड कंट्रोलर जो जयपुर में है अर्थात् जयपुर के कलेक्टर ने उसका एडजुडिकेशन किया। इन्कम टैक्स प्रथारिटी ने भी लगभग 490 लाख रुपये का माल पकड़ा। उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग से कार्यवाही चल रही है। गोल्ड कंट्रोल का एडजुडिकेशन कलेक्टर कर चुक है श्रीर फीसला कर चुका है श्रीर 490 लाख

[श्री सतीश भयवाले]

रुपये के मुकाबले में जयपुर के कलेक्टर ने इस सारे गोल्ड को कंसर्फिस्केट किया है। इसके छोड़ने के लिए उसने कर्नल भवानी सिंह पर डेढ़ करोड़ रुपये का रिडेम्पशन फाइन लगाया और कहा कि यह जमा कराया जाएगा तो इसे छोड़ा जा सकता है। उसने पांच लाख रुपये की परसनल पैनल्टी भी लगायी। इसके फौसल के खिलाफ कर्नल भवानी सिंह ने गोल्ड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर के पास अपील की है जो कि अभी पेंडिंग है। इसलिए इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस दौरान उन्होंने सारे गोल्ड को बैंक में जमा करा दिया है और जमा कराने के बाद जो हमारी लाएम्बिटी थी, उसको पे करने के लिए उन्होंने उसका डिस्पोजल किया। जो गोल्ड उन्होंने बेचा वह पंजाब नेशनल बैंक, जयपुर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सलाह से— गोल्ड इंक्यूबिंग रिबेट्स आफ एन्टीक्स एण्ड गोल्ड कोइंस लगभग 895 के 0जी० बेचा है। कर्नल भवानी सिंह जी की तरफ से बैंक ने 5 करोड़, 71 लाख 25 हजार, 172 रुपये का यह गोल्ड बेचा और इस पैस में से इनकम टैक्स एरियर्स, वेलथ टैक्स एरियर्स, गिफ्ट टैक्स एरियर्स और एस्टेट ड्यूटी की जो लाएम्बिटी कर्नल भवानी सिंह की तरफ थी, उसका 2 करोड़, 98 लाख रुपया उनसे वसूल हो गया। रिडीम्ब फाइन का रुपया वसूल हो गया और पांच लाख रुपये की परसनल पैनल्टी वसूल हो गयी। इन्स्ट्रुट ग्रान लॉस एण्ड गारण्टी कमीशन रिटेंस बाई दि बैंक का 12 लाख रुपया चला गया और बैंक के जो मिसलेनियस चार्जेंस थे, उसका 2 लाख रुपया चला गया। इस तरह से चार करोड़ रुपये का डिस्पोजल इस रकम में से हो गया। बाकी जो डेढ़ करोड़ रुपये की राशि है जो कि गोल्ड के ग्रग्रेस्ट में बैंक के पास है उसमें से अभी पैमेंट होनी है। 26 लाख रुपया हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बकाया है जो

कि डिस्प्यूटिड है, वह वसूल होगा है। उसके बारे में भी कार्यवाही चल रही है।

जहां तक सीजर्स का सवाल है कि कितना हुआ और क्या कुछ हुआ, इस सम्बन्ध में मैं सदस्यों की जानकारी के लिए एक छोटा सा ग्रान्सर और साथ में दो ग्रनेक्सर लग कर सभा की मेज पर रख देता हूँ [Placed in Library. See No. LT-2230/78]. जिसमें लिखा हुआ है कि गोल्ड कंट्रोल ग्रथारिटीज ने जो सीजर्स किये वे मोतीडूगरी पेलेस, रामबाग पेलेस, राजमहल पेलेस इन तीन जगहों पर किये और इनमें ज माल मिला वह 4 करोड़ 90 लाख रुपये का है। लगभग इतनी राशि का माल बरामद हुआ है। दूसरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली में तीन स्थानों पर और पांच स्थानों पर जयपुर में सर्चिज किये। उनमें भी कुल मिला कर 4 करोड़ 90 लाख रुपये के लगभग का माल बरामद हुआ। इस प्रश्न के संदर्भ में जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछे हैं उस में जो थोड़ा बहुत ग्रम उत्पन्न हुआ है वह इस वजह से हुआ है कि ट्रेजरी एंड ट्रोव एक्ट प्रथम बना हुआ है और इसके ग्रन्तर्गत कार्रवाई ग्रलग प्रकार से होती है। इसलिए पहले जो प्रश्न का उत्तर दिया गया जिस में यह लिखा था कि मोती डूगरी में कुछ नहीं मिला वहां खजाने की ख्दाई नहीं हुई इसलिए उन्होंने जयगढ़ फोर्ट के बारे में अबाव दिया और मोती डूगरी के बारे में कुछ उत्तर नहीं दिया। दूसरा प्रश्न मोती डूगरी के बारे में पूछा था तो उसके बारे में ग्र्रांशिक जानकारी दे दी थी। दोनों प्रश्नों की पूरी जानकारी जो मिली है वह आज मैं दे रहा हूँ कि मोती डूगरी के ग्रतिरिक्त जो ग्रनेक स्थानों पर सीजर और सर्चिज हुए हैं उनमें टोटल, कुल मिलाकर 9 करोड़ 90 लाख के लगभग सारा माल मिला है गोल्ड कंट्रोल और इनकम टैक्स ग्रथारिटी की सर्च में बरामद हुआ है। पूरा विवरण मैंने दिया है। मैं एन्कसग्रर

घौर 2 सदन की भेज पर रख देता हूँ ।
घौर डाकुमेंट्स की आवश्यकता है वहाँ वह भी
सदन की जानकारी के लिए देने के लिए
तैयार हूँ ।

श्री हुकम चन्द कच्छवाय (उज्जैन) :
मंजी महोदय के उत्तर से स्थिति बिल्कुल
साफ हो गई है, सरकार की स्थिति भी सारी
उन्होंने साफ कर दी है, इसके लिए वह बघाई
के पास हैं । मैं इतनी जानकारी चाहता हूँ
कि जो माल सीज किया गया उसकी नियमानु-
सार तत्काल घोषणा क्यों नहीं की गई, इसका
क्या कारण था । आजकल तत्काल इस तरह
की चीजों की घोषणा कर दी जाती है ।
तब क्या खास कारण थे कि इसकी घोषणा
नहीं की गई और यह नहीं बताया गया कि
कहाँ कहाँ से कितने कितने का माल मिला है ?

सदस्यों में और सारे देश में यह चर्चा का
विषय बना हुआ है कि वहाँ से जो माल खुदाई
में मिला है और जयगढ़ के बारे में कहा जाता
है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन मिला था और
द्रकों से लाया गया है इस चीज को भी आप
को साफ करना चाहिये ताकि सन्देह की
गुंजाइश न रह जाए । जो खुदाई की गई है
उस समय कितनी एजेंसीज वहाँ मौजूद थीं
और किन किन की मौजूदगी में यह खुदाई
की गई थी ? इसका भी साफ साफ खुलासा
होना चाहिये ताकि भ्रम जो फैला हुआ है, वह
दूर हो ।

कहा जाता है कि जो माल पकड़ा गया
है वह भूतपूर्व प्रधान मंत्री के कब्जे में रहा है ।
यह चर्चा का विषय है । कहां तक यह
बात सही है मैं नहीं कह सकता हूँ । लेकिन
काफी माल वहां से भेजा गया है और इनको
भेजने में कुछ लोगों का हाथ भी बताया जाता
है । इसकी चर्चा भी हो चुकी है ।
प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि जो
डाकुमेंट्स मिले हैं उन्हीं के आधार पर आप

कह रहे हैं कि यह इतना माल है । लेकिन
अभी भी बहुत से डाकुमेंट्स गायब बताए
जाते हैं । जो आपके सामने लाए गए हैं
उनके अलावा भी कुछ आपके सामने चीजें
नहीं लाई गई हैं । क्या आप सदन को
आश्वासन देने इसके बारे में ताकि सदन में
जो सन्देह का वातावरण है, लोगों के मन में
जो सन्देह है वह दूर हो ? हेराफेरी भी क्या
डाकुमेंट्स में हुई थी इसका आपको पता है ?
अगर इसके बारे में आप अभी नहीं बता सकते
तो क्या देख करके और अध्ययन करके आप
सदन को इसके बारे में जानकारी देने ताकि
स्थिति साफ हो जाए ? आपने कहा है कि
आपने स्थिति साफ कर दी है लेकिन कुछ जो
सन्देह हैं उनका भी अगर निराकरण हो जाए
तो ज्यादा अच्छा होगा और यह सन्देह डाकु-
मेंट्स के सम्बन्ध में है ।

श्री सतीश ब्रह्मचाल : सर्जिज और सीजरों
के सम्बन्ध में तत्काल घोषणा न किए जाने का
जहां तक सम्बन्ध है मैं कुछ नहीं कह सकता
हूँ । सामान्यतः जब इतने बड़े सीजर और
सर्जिज होते हैं तो उनकी घोषणा पिछले साल
से आप देख रहे होंगे कि तत्काल की जाती
रही है । जो एसेट्स सीज किए गए, जो
माल सीजर में आया वह सारे का सारा बैंक
लाकर्ज में रखा गया और कुछ राजस्थान
गवर्नमेंट की ट्रेजरी में रखा गया । इसके
अलावा इस सम्बन्ध में मुझे कोई और जान-
कारी नहीं है । घोषणा उस समय क्यों
नहीं की गई, गवर्नमेंट ने क्यों जल्दी सभ्यता
जब एमरजेंसी के बाद सारी चीजें हुई . . .

श्री हुकम चन्द कच्छवाय : तथ्यों का पता
लगाएंगे कि क्यों नहीं की गई ?

श्री सतीश ब्रह्मचाल : घोषणा क्यों नहीं
की गई यह इतनी मेटैरियल बात नहीं है
जितनी यह है कि जितना माल खर्च और
सीजर में आया वह सारा बैंक लाकर्ज में
रखा गया ।

श्री जर्मबीर बलिष्ठ (फरीदाबाद) :
यह कैसे मान्य है ?

श्री सतीश अग्रवाल : रिकार्ड और रिपोर्ट मौजूद हैं ।

श्री जर्मबीर बलिष्ठ : उन लोगों के महारानी के, भवानी सिंह के.....

श्री सतीश अग्रवाल : पंचनामा बनता है, सीजर भी बनता है और उन आयदियों के दस्तखत होते हैं ।

श्री जर्मबीर बलिष्ठ : एक घाय लोगों का पंचनामा हो जाता है और जो उससे सम्बन्धित होते हैं उनका भी होता है ।

श्री सतीश अग्रवाल : उनकी तरफ से भी दस्तखत हैं । जयगढ़ की खुदाई में भी उनके प्रादमी 24 घंटे वहां रहे हैं । इसलिये वह तो प्रश्न नहीं है । सर्वेज और सीजर्स के सम्बन्ध में यह सर्वेज और सीजर्स की गई यह आर्टिकल्स मिले वहां, उनकी लिस्ट बनी, पंचनामा बनाया गया, दस्तखत किये गये और उसके बाद बैंक लॉकर्स में रखा दिये गये । सरकार के सामने कोई ऐसी शिकायत आज तक जयपुर राजघराने से या किसी से नहीं की है कि जितना माल हमारा बरामद किया गया वह पूरा माल हमें नहीं मिला है, या उसमें से कोई चीज गायब हो गई है । ऐसी शिकायत आज तक कोई नहीं आयी है । और जहां तक उस माल में से कुछ माल भूत-पूर्व प्रधान मंत्री के पास रहा और डोकुमेंट्स गायब किये गये यह प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, लेकिन जब जयगढ़ के खजाने में कुछ मिला ही नहीं तो मैं समझता हूँ कि उनके पास तो कुछ मिलने का सबाल ही पैदा नहीं होता । अगर कोई माननीय सदस्य के पास जानकारी हो और प्राइमार्केजी सरकार को अगर लगेगा कि सारे मामले में कोई बगालिग हुआ है, आज तक प्राइमार्केजी सरकार को

नहीं लगता है कि कोई बगालिग है, लेकिन अगर कोई विशेष जानकारी माननीय सदस्य के पास है और अगर सरकार प्राइमार्केजी सेटिस्-फाई होगी कोई डोकुमेंट्स या ऐबीडेंस आयेगी तो फिर निश्चित रूप से उसके सम्बन्ध में जांच करायेगे ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जो खुदाई की गई उस समय कौन-कौन सी एजेन्सीज वहां पर मौजूद थीं ? यह जो प्रश्न फीना हुआ है सारे देश के अन्दर.....

MR. CHAIRMAN: You have already put the question.

श्री सतीश अग्रवाल : खुदाई के सम्बन्ध में जो डिपार्टमेंट्स संबंधित थे वह थे :

National Geo-Physical Research Institute, Hyderabad, Engineering Corps. of the Army, Central Public Works Department, Archaeological Survey of India, Directorate of Inspections, Income-Tax and Department of Culture, Ministry of Education.

(अवधान)

जयगढ़ खजाने की खुदाई इसीलिये की गई थी, आपने जो पूछा क्योंकि जिस समय मोती इंगरी पैलेस, सिटी पैलेस, राजमहल, राम बाग पैलेस की सर्वेज और सीजर्स हुए उस समय एक बीजक मिला जिसमें कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ था, 250 वर्ष पूर्व सवाई जयसिंह के जमाने में जयगढ़ किले की विजयगढ़ कहते थे, उस जयगढ़ के किले में चार तालाब बने हुए हैं जो 150—150 फीट के लम्बे हैं, जिनमें पानी भरा हुआ है, उनके नीचे कई दरवाजे हैं, कई तहखाने हैं और वहां माल रखा हुआ है । उस बीजक

के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की गई डिपार्टमेंट्स को भेजा गया इसकी सत्यता के बारे, प्रमाणिक करने के बारे में जानकारी हासिल की गई। और अन्त में सरकार इस नतीजे पर पहुँची कि इसमें जानकारी दी गई है कि 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का खजाना वहाँ है, और बीजक में 250 साल पुरानी बात का जिक्र है, उस समय के 100 करोड़ आज तो पता नहीं शायद 10,000 करोड़ रु० के बराबर होंगे, इसलिए बीजक में उस समय की सरकार को लगा कि इस बीजक की सत्यता को मानने हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि यह खुदाई कगना ठीक होगा। 10.5 लाख रु० खर्च भी हो जाय तो कोई बात नहीं है, अगर 10,000 करोड़ रुपये का खजाना मिल जाय तो बहुत अच्छा हो जायगा। शायद इस आधार पर उस समय की सरकार ने फैसला किया।

श्री राम नरेश कुशावाह (मलेमपुर) :
11 फरवरी, 1975 को जो सीजर्स हुए थे..

MR. CHAIRMAN: You have already put the question.

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति जी, आम चर्चा का विषय है कि काफी मान्य मूलपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा मारीगम भेजा गया। यह समाचार-पत्रों में भी आया है और इस सदन में चर्चा भी हुई है। तो इस सम्बन्ध में मंत्री जी जरा खुलासा करें।

श्री सतीश अग्रवाल : सभापति महोदय, 11 फरवरी, 1975 को जो विवरण मैंने सभा पटल पर रखा है उसमें गोल्ड कंट्रोल प्रयोगिटीज ने किमी प्रकार का कोई सीजर जयपुर अथवा दिल्ली में नहीं किया। 11 फरवरी 1975 को जो तलाशियाँ ली गईं वह केवल नई दिल्ली स्थित श्रीमती पदमिनी, पत्नी श्री भवानी मिश्र के दो मकानों पर जो एक शांति निकेतन, नई दिल्ली में है और दूसरा हैले रोड, नई दिल्ली में है तथा श्री कर्नल भवानी मिश्र जी के 33. औरंगजेब रोड, नई दिल्ली, इन तीन स्थानों पर नई दिल्ली में 11 फरवरी, 1975 को सीजर हुआ है। बाकी किमी स्थान पर 11 फरवरी, 1975 का कोई सीजर नहीं हुआ है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। समाचार-पत्रों में है कि मारीगम भेजा गया। उस चीज का खुलासा कर दें।

SHRI SATISH AGRAWAL: No more questions?

MR. CHAIRMAN: You have already answered. Now, the House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

18.24 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 4, 1978/Vaisakha 14, 1900 (Saka)